



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी-श्री रामकृमार टाडा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्या- 65/2025

निर्णय दिनांक-28.09.2025

पटवारी हल्का पींगलोद द्वारा प्रस्तुत खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं भू.अ.नि. करकेड़ी की रिपोर्ट व तहसीलदार रूपनगढ़ की अनुशंषा सहित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-138 के अन्तर्गत इन्द्राज शुद्धि हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ। उक्तानुसार ग्राम पालड़ी पठानान पटवार हल्का पींगलोद तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर के खाता संख्या 112, 208 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि को निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	संबंधित ग्राम	खाता संख्या	ख0न0	वर्तमान अशुद्ध प्रविष्टि	निर्णय उपरान्त शुद्ध प्रविष्टि
1	पालड़ी पठानान	112	425 / 181	मंगला पुत्री रुघनाथ जाति जाट हि0 1/72 सा0 देह खातेदार	मंगला पुत्र रुघनाथ जाति जाट हि0 1/72 सा0 देह खातेदार
2	पालड़ी पठानान	208	180	मंगला पुत्री रुघनाथ जाति जाट हि0 1/72 सा0 देह खातेदार	मंगला पुत्र रुघनाथ जाति जाट हि0 1/72 सा0 देह खातेदार

क्रमांक- 3022-23
प्रतिलिपि-

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)
दिनांक- 26/9/25 रूपनगढ़ (अजमेर)

1. तहसीलदार रूपनगढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)